

भारत में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव

यह एडिटरियल 22/09/2022 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "The failure of fire safety norms" लेख पर आधारित है। इसमें तेलंगाना में हुई हाल की अग्नि दुर्घटना और भारत में शहरी अग्नि दुर्घटनाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

शहरीकरण आवास सघनीकरण (House Densification) का परदिश्य उत्पन्न करता है। यह ऐसी परिघटना है जो शहरों के नयोजति और अनयोजति, दोनों ही बसावटों में देखी जाती है। भारत के सघन आबादी शहरी क्षेत्रों में वनिशकारी आग की संभावना सर्वप्रमुख जोखिमों में से एक है।

- **भारत जोखिम सर्वेक्षण (India Risk Surveys), 2018** के अनुसार, भारत (वर्षिष रूप से देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में) अग्नि दुर्घटनाओं के मामले में तीसरे स्थान पर है। शहरी क्षेत्रों में आग की घटनाओं के प्रमुख कारणों में कमरे को गर्म करने के लिये लकड़ी एवं काष्ठ कोयला जलाना, घर के आसपास कचरा जलाना, अग्निशमन एवं पहुँच के मामले में बदतर शहरी अवसंरचना (जो आग के जोखिम की संभावना को बढ़ाता है) आदि शामिल हैं।
- **शहरी आग (Urban fire)** बड़ी मात्रा में धुआँ प्रदूषण उत्पन्न कर और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर मानव जीवन एवं संपत्तिके साथ-साथ पर्यावरण और पारितंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। अतीत में अगलगी की बड़ी घटनाओं के बावजूद भवन एवं अग्नि सुरक्षा मानदंडों का खुला उल्लंघन बेरोकटोक जारी है, जबकि नियमिती रूप से अग्नि दुर्घटनाएँ सामने आती रहती हैं। यह उपयुक्त समय है कि अग्नि सुरक्षा (fire safety) के विषय को गंभीरता से लिया जाए और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।

भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित मौजूदा प्रावधान

- अग्निशमन सेवा देश में सबसे महत्त्वपूर्ण आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं में से एक है, जो भारतीय संविधान की **12वीं अनुसूची** के अंतर्गत नगर निकाय के कार्यों से संबंधित है।
 - वर्तमान में अग्नि रोकथाम और अग्निशमन सेवाओं का संचालन संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा किया जाता है।
- **राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code- NBC), 2016**: भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) द्वारा प्रकाशित NBC एक 'अनुशासनात्मक दस्तावेज़' है और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के माध्यम से अपने स्थानीय भवनों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इस प्रकार, ये अनुशासनाएँ अनिवार्य प्रकृति की हैं।
 - इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक विनियम, सामान्य भवन आवश्यकताएँ (जैसे अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएँ, संरचनात्मक डिज़ाइन और निर्माण/सुरक्षा प्रावधान) शामिल हैं।
- 'मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज़, 2003': मॉडर्न बिल्डिंग बाय लॉज़, 2003 के तहत प्रत्येक बट्टि पर फायर क्लीयरेंस की ज़िम्मेदारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी (Chief Fire Officer) की होती है। संबंधित विकास प्राधिकरण को मंजूरी प्राप्त करने लिये मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भवन योजना प्रस्तुत की जानी चाहिये।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) द्वारा जारी दिशानिर्देश सार्वजनिक भवनों (अस्पतालों सहित) के लिये अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। इसमें खुले स्थान, निकास तंत्र, सीढ़ियाँ और निकासी अभ्यास के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने से संबंधित डिज़ाइन दिशानिर्देश भी शामिल हैं।

भारत में शहरी अग्नि दुर्घटनाओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **सार्वभौमिक अग्नि सुरक्षा कानून का अभाव**: भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, वर्ष 2020 में अग्नि दुर्घटनाओं के कुल 11,037 मामले दर्ज किये गए। लेकिन इसके बावजूद भारत में अग्नि सुरक्षा के संबंध में कोई सार्वभौमिक कानून नहीं लाया गया है।
- **प्राकृतिक और जलवायु कारण**: ठंका, चरम ग्रीष्म जैसी प्राकृतिक मौसमी घटनाएँ नमिन् आर्द्रता की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में अगलगी का कारण बनती हैं।

- **धुआँ प्रबंधन और इमरजेंसी लाइटिंग व्यवस्था का अभाव:** चूँककिँची इमारतों में प्रायः बड़े संलग्न स्थान या रकित स्थान शामिल होते हैं, एक छोटी चगिारी भी एक बड़ी अग्नदुर्घटना का कारण बन सकती है यदधुआँ प्रबंधन और इमरजेंसी लाइटिंग के माध्यम से कसिी चेतावनी तंत्र का अभाव हो, जो प्रायः आम स्थति है ।
- **भेद्यता वशिलेषण का अभाव:** राषट्रीय भवन संहति 2016 के खराब वनियमन और प्रवर्तन के कारण भेद्यता वशिलेषण (Vulnerability Analysis) से रहति भवन शहरी आग में योगदान की संभावना रखते हैं, क्यँकयिह भेद्यता पूर्व-तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनरप्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावति करती है ।
- **उचति वदियुत रोधन का अभाव:** प्लासटकि इन्सुलेशन के लयि उपयोग कथि जाने वाला पॉलीयूरेथेन फोम (PUF) अत्यधिक ज्वलनशील होता है जो ओवरलोडगि या शॉर्ट सर्कटि के कारण गर्म होने की स्थतिमें तुरंत ही आग पकड़ लेता है ।

आगे की राह

- **अग्नसुरक्षा अधनियमन और लेखा परीक्षा:** भारत को शहरी आग की भेद्यता को कम करने के लयि एक प्रभावी लेखा परीक्षा तंत्र के साथ ही सशक्त अग्नसुरक्षा कानून की आवश्यकता है ।
- **कॉरपोरेट सुरक्षा उत्तरदायतिव:** भवन नगिमों को नरिमाण से पहले उचति भेद्यता आकलन सुनश्चति करने और उचति नकिस चैनलों को बनाए रखने के लयि बेसमेंट को अवरोध-मुक्त बनाए रखने की आवश्यकता है ।
- **‘फायर हैज़ार्ड रसिपांस प्लान’:** यह आवश्यक है कप्रत्येक शहरी स्थानीय नकियाय (ULB) स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रगिड और स्वास्थय वभिग के साथ साझेदारी में एक अग्नखतरा योजना (fire hazard plan) वकिसति करे और लोगों के बीच जागरूकता के प्रसार के साथ ही अप्रत्याशति अग्नसे द्युत गतिसे बचाव के लयि सार्वजनकि स्थलों पर नयिमति रूप से मॉक ड्रलि आयोजति करे ।
- **अग्नसुरक्षा उपकरणों का आधुनकिकरण:** स्मोक डटिकटर, फायर होज़ कैबनिट और स्वचालति सप्रकिलर ससि्टम जैसे उपकरणों के साथ अग्नशिमन वभिग को सशक्त एवं आधुनकि बनाने के लयि सरकार द्वारा वत्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान की जानी चाहयि ।

अभ्यास प्रश्न: हाल की अग्नदुर्घटनाओं के आलोक में भारत में अग्नसुरक्षा से संबंधति प्रावधानों की चर्चा करें । भारत में अग्नसुरक्षा में सुधार के उपाय भी सुझाएँ ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/fire-safety-in-india-1>

